CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 16-10-2026 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH09 User: cci Time: 10-15-2026 23:18 Color:

Photo: Sunil Kataria

बारिश और हवाओं से बदला दिल्ली का मौसम, दिन में छाया अंधेरा

तेज़ बारिश ने बदला दिल्ली में मौसम का मिज़ाज, लगी ठंड

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

झमाझम बारिश और तेज हवाओं ने गुरुवार को दिल्ली के मौसम का मिजाज बदल दिया। इस सीजन में पहली बार दिन के समय ठंड का अहसास हुआ। दोपहर में कुछ देर के लिए इतना अंधेरा छाया कि दिन में ही शाम जैसा नजारा दिखने लगा। बारिश थमने के बाद भी आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं।

राजधानी में आज भी हल्की बारिश के आसार

गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। सुबह 9 बजे से कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हुई, जो दोपहर 12 बजे के बाद तेज हो गई। अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक था।

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह साढ़े 8 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक सफदरजंग में 15.9 एमएम, पालम में 11.2 एमएम, लोदी रोड में 20 एमएम, रिज में 25.2 एमएम और आया नगर में 7.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 31.5 एमएम, नोएडा में 6 एमएम और गुरुग्राम में 8.5 एमएम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही।

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, शुक्रवार को सुबह से दोपहर तक कई जगह हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके बाद 17 से 21 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना नहीं है।

कम हुआ प्रदूषण, AQI 149 दर्ज

बारिश के साथ राजधानी का प्रदूषण एक बार फिर धुल गया है। हवा में ठंडक के साथ ताजगी भी महसूस हो रही है। अगले 10 दिन तक प्रदूषण संतोषजनक से खराब स्तर पर बना रह सकता है। सीपीसीबी के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का एक्यूआई 149 रहा। फरीदाबाद का 116 और ग्रेटर नोएडा का 184 दर्ज हुआ।

यमुना में फिर मरी मिलीं मछलियां

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

यमुना में नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 14 अक्टूबर की शाम बड़ी संख्या में मछलियां मृत पाई गईं। पर्यावरण पर नजर रखने वाली संस्था अर्थ वॉरियर ने DPCC के चेयरमैन को शिकायत देकर पानी की तत्काल जांच कराने और प्रदूषण के सोर्सों का पता लगाने की मांग की है। 15 अक्टूबर की सुबह बादलपुर माजरा इलाके में ली गई तस्वीरों में नदी की सतह पर कई मरी हुई मछलियां दिखाई दीं। संस्था के प्रतिनिधि पंकज कुमार ने बताया, 2025 में भी मछलियों की मौत का मामला सामने आया था।

बुराड़ी के बादलपुर माजरा में दिखी

विरोध के बीच नया डायरेक्टर नियुक्त

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के धरने के बीच प्रशासन ने डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी है। हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. रमा को अगले आदेश तक स्कूल का डायरेक्टर बनाया गया है। साथ ही ओएसडी डॉ. संजय वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमिटी बनाई गई है। गुरुवार को DU के रजिस्ट्रार प्रो. विकास गुप्ता ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी। प्रो. रमा अपने मौजूदा पद के साथ यह जिम्मेदारी भी संभालेंगी। स्टूडेंट्स लंबे समय से डॉ. संजय वर्मा को हटाने की मांग कर रहे हैं। वे आर्ट्स फैकल्टी के बाहर धरने पर बैठे हैं। छात्रों का आरोप है कि वर्मा जेंडर और जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं और छात्राओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। हालांकि वर्मा ने आरोपों से इनकार किया है। छात्रों के मुताबिक लगातार प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन ने कदम उठाया है।

हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल को सौंपी गई जिम्मेदारी

हड़ताल कर रहे स्टूडेंट्स के समर्थन में JNU पहुंचीं नेहा

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली:** जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का आंदोलन जारी है। भूख हड़ताल के 12वें दिन गुरुवार को कई छात्र नेताओं और राजनीतिक हस्तियों ने आंदोलन के समर्थन में पहुंचकर एकजुटता जताई।

इस दौरान आइसा की अध्यक्ष नेहा, राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, NSP (SP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गावंडे, SFI दिल्ली की अध्यक्ष नादिया और IYC की कार्यकर्ता गुरमेहर आंदोलनकारियों के समर्थन में पहुंचे। उन्होंने जेएनयू छात्रसंघ के आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। कैंपस में 3 अक्टूबर से 13 मुद्दों को लेकर स्टूडेंट्स हड़ताल कर रहे हैं।

कार्यालय वसूली अधिकारी–।।
ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

R.C. No. 156/2025 — बिक्री उद्घोषणा

भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स तक्षशिला रिटेल प्राइवेट लिमिटेड

बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52(2) के अन्तर्गत बिक्री की उद्घोषणा

सीडी#1 **मैसर्स तक्षशिला रिटेल प्राइवेट लिमिटेड** जी–9, साउथ एक्सटेंशन–।, नई दिल्ली–110049, **इसके अलावा:** बी–35, दीवान हाउस, अजय एनक्लेव, नई दिल्ली–110049।
सीडी#2 **श्री नितेश सहगल पुत्र दिनेश सहगल (निदेशक)** जी–9, साउथ एक्सटेंशन–।, नई दिल्ली–110049 **इसके अलावा:** जी–13, साउथ एक्सटेंशन–।, नई दिल्ली–110049।
सीडी#3 **श्री दिनेश सहगल पुत्र स्वर्गीय श्री एस.एल. सहगल (प्रबंध निदेशक एवं गारंटर)** जी–9, साउथ एक्सटेंशन–।, नई दिल्ली–110049 **इसके अलावा:** जी–13, साउथ एक्सटेंशन–।, नई दिल्ली–110049।
सीडी#4 **श्रीमती हरिश सहगल पत्नी श्री दिनेश सहगल** जी–9, साउथ एक्सटेंशन–।, नई दिल्ली–110049 **इसके अलावा:** जी–13, साउथ एक्सटेंशन–।, नई दिल्ली–110049।
सीडी#5 **श्री उदित सहगल पुत्र श्री दिनेश सहगल (निदेशक एवं एएमपी; गारंटर)** जी–9, साउथ एक्सटेंशन–।, नई दिल्ली–110049 **इसके अलावा:** जी–13, साउथ एक्सटेंशन–।, नई दिल्ली–110049।
सीडी#6 **मैसर्स ब्लूज लग्जरी एम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर)** जी–9, साउथ एक्सटेंशन–।, नई दिल्ली–110049।
सीडी#7 **श्रीमती वीना सहगल पत्नी स्वर्गीय श्री पी.के. सहगल (गारंटर)** ए–1/234, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली–110049

जबकि, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–।। द्वारा जारी अंतरण वसूली प्रमाणपत्र संख्या 156/2025 दिनांकित 11.06.2026 के अनुसार, **रु. 89,31,71,828.45/– (नवासी करोड़ इकतीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ अट्ठाइस और पैंतालीस पैसे मात्र)** की राशि के संबंध में प्रमाणित देनदार (सीडी) उक्त राशि का भुगतान, वसूली होने तक उस पर भविष्य का ब्याज @14% प्रतिवर्ष तथा व्यय सहित, संयुक्त रूप से और/अथवा पृथक–पृथक रूप से करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2. और जहाँ पर अधोहस्ताक्षी ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट होकर निम्नलिखितानुसार अनुसूची में संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन संबंधी किसी आदेश के अभाव में उक्त संपत्ति का विक्रय ई–नीलामी द्वारा BAANKNET **ई–नीलामी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसका संचालन पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट: https://baanknet.com ईमेल आईडी: support.baanknet@psballiance.com संपर्क व्यक्ति: श्री कश्यप पटेल, मोबाइल नंबर: 9327493060, सहायता संपर्क नंबर 918291220220 एवं श्री उदय जाधव, प्राधिकृत अधिकारी, बैंकनेट, मोबाइल नंबर 9820878255, जिसका पता: मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट 1, तृतीय तल, वायोस कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के निकट, वडाला (पूर्व), मुंबई–400034 द्वारा ई–नीलामी दिनांक 19.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित की जाएगी (यदि समापन से पूर्व अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होती है, तो आवश्यकतानुसार स्वतः समय–वृद्धि का प्रावधान लागू होगा)। किया जाएगा।** इच्छुक बोलीदाताओं को BAANKNET पोर्टल पर पर्याप्त पूर्व में पंजीकरण कराना होगा, डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी तथा उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
4. जमा बयाना राशि (ईएमडी) BAANKNET पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 18.11.2026 को सायं 04:00 बजे तक किया जाएगा। BAANKNET पोर्टल, सीएच बैंक के समन्वय से, सभी इच्छुक बोलीदाताओं की सूची आवश्यक विवरण सहित आवश्यक अनुमोदन हेतु वसूली अधिकारी को दिनांक 17.11.2026 को सांय 04:00 बजे तक अग्रेषित करेगा। नीलामी के संचालन से संबंधित सभी मामलों में, आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के प्रावधान और वसूली अधिकारी के निर्देश BAANKNET पोर्टल के नियमों और शर्तों पर प्रभावी होंगे। पंजीकरण, उपयोगकर्ता आईडी और बोली प्रक्रियाओं से संबंधित परिचालन विवरण के लिए, इच्छुक बोलीदाता BAANKNET पोर्टल से परामर्श कर सकते हैं या यहां उल्लिखित हेल्पलाइन नंबरों पर पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं।
5. संपत्ति के किसी भी प्रश्न और निरीक्षण के मामले में, इच्छुक बोलीदाता **श्रीमती शर्मिला कटारिया, मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मोबाइल नंबर 8826309978** से संपर्क कर सकते हैं
6. उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की संपत्ति की बिक्री निम्नलिखितानुसार संपत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावों को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
7. संपत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि संपत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।
8. बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से संपत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नही करेगा।
9. आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी।

9.1 बिक्री उद्घोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटि, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अधोहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।
9.2 आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जाएगी और जमा धरोहर राशि (ईएमडी) निम्नानुसार हैः

क्र.स.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रू. में)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रू. में)
1.	**संपत्ति संख्या F38, एनडीएसई, पार्ट–1, नई दिल्ली स्थित संपत्ति के प्रथम तल पर कमरा नंबर 3, जिसमें सामने का आधा भाग एवं पीछे का आधा भाग दोनों शामिल हैं।**	₹ 97,20,000/-	₹ 9,72,000/-

9.3 इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने आरक्षित मूल्य से कम नहीं की बोली प्रस्तुत की हो तथा पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण आदि दस्तावेजों सहित अपनी बोली दिनांक **18.11.2026 को अपराह्न 04:00** बजे तक वसूली अधिकारी– ।।, डीआरटी– ।।, दिल्ली के कार्यालय में प्रस्तुत कर दी हो, वे दिनांक **19.11.2026 को पूर्वा. 11:00 बजे से दोपहर 12:00** बजे तक आयोजित ई–नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि नीलामी की समाप्ति के समय के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली लगाई जाती है, तो समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
9.4 बोलीदाता अपना बोली रु. 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ाएंगे।
9.5 सफल/उच्चतम बोलीदाता को BAANKNET पोर्टल पर पहले से जमा ईएमडी राशि का समायोजन करने के पश्चात, बोली/विक्रय राशि के 25% के बराबर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर तैयार कराकर, वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली, खाता संख्या **आर.सी. नं. 156/2025** के पक्ष में, अगले बैंक कार्यदिवस अर्थात् निर्धारित समय सायं 04:00 बजे तक इस अधिकरण में जमा करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर ईएमडी की राशि जब्त कर ली जाएगी।
9.6 सफल/उच्चतम बोलीदाता को विक्रय राशि की शेष 75% राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली, खाता संख्या **आर.सी. नं. 156/2025** के पक्ष में, संपत्ति की नीलामी की तारीख से 15वें दिन तक (नीलामी की तारीख को छोड़कर) अथवा उससे पहले, वसूली अधिकारी, डीआरटी–।।, दिल्ली के समक्ष जमा करनी होगी। यदि 15वाँ दिन रविवार अथवा कोई अन्य अवकाश होता है, तो उक्त राशि उसके अगले कार्यालय दिवस को जमा की जाएगी। इसके साथ ही, रजिस्ट्रार, डीआरटी–।।, दिल्ली के पक्ष में पाउंडेज शुल्क भी जमा करना होगा, जो रू.1,000/– तक की सकल राशि पर 2% तथा रू.1,000/– से अधिक की राशि पर 1% की दर से देय होगा। यदि शेष 75% राशि डाक के माध्यम से जमा की जाती है, तो उक्त राशि उपर्युक्त वसूली अधिकारी के पास निर्धारित समय के भीतर पहुँच जानी चाहिए।
9.7 उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना करने पर, उक्त सम्पत्ति की पुनः बिक्री नई उद्घोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में या राशि के किसी भाग के सम्बंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे।

8. संपत्ति ''जहां है जैसी है'' और ''जो है जैसी'' के आधार पर बेची जा रही है।
9. यदि कोई बोली या सभी बोलियाँ अस्वीकार्य पाई जाती हैं तो वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

सम्पत्ति का अनुसूची

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
संपत्ति संख्या F38, एनडीएसई, पार्ट–1, नई दिल्ली स्थित संपत्ति के प्रथम तल पर कमरा नंबर 3, जिसमें सामने का आधा भाग एवं पीछे का आधा भाग दोनों शामिल हैं।	ज्ञात नहीं	दिनांक 28.09.2026 तक एमसीडी का रू.4,65,302/– (रुपये चार लाख पैंसठ हजार तीन सौ दो मात्र) बकाया है।	ज्ञात नहीं

मेरे हस्ताक्षर एवं इस मुहर के तहत **08.10.2026** को दिया गया।

हस्ता/– (वात्सल्य कुमार),
वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली

कार्यालय वसूली अधिकारी–।।
ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

R.C. No. 156/2025 — आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत — दिनांक : 08.10.2026

ई–निलामी बिक्री सूचना

भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स तक्षशिला रिटेल प्राइवेट लिमिटेड

''आदेश''

दिनांक 08.10.2026 के आदेशानुसार निम्नांकित सम्पत्ति की सार्वजनिक ई–नीलामी दिनांक 19.11.2026 उल्लेखित ऋण वसूली प्रमाण पत्र में नीलामी बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से ''ऑनलाइन ई–नीलामी'' होगी

ई–नीलामी की तिथि व समयः 19–11–2026 को प्रातः 11.00 बजे से अर्पाह्न 12.00 बजे के बीच (अर्पाह्न 12.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है)

संपत्ति का विवरण

क्र. सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु. में)
1	संपत्ति संख्या F38, एनडीएसई, पार्ट–1, नई दिल्ली स्थित संपत्ति के प्रथम तल पर कमरा नंबर 3, जिसमें सामने का आधा भाग एवं पीछे का आधा भाग दोनों शामिल हैं।	₹ 97,20,000/-	₹ 9,72,000/-

नियम व शर्तें

1. इस विक्रय को नियंत्रित करने वाले नियम एवं शर्तें इस सूचना में तथा वसूली अधिकारी द्वारा जारी विक्रय उद्घोषणा में वर्णित अनुसार होंगी। नीलामी एवं बोली प्रक्रिया केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वेबसाइट **https://baanknet.com** के द्वारा ही संपन्न की जाएगी। सम्भावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण, उपयोगकर्ता पहचान संख्या तथा बोली प्रक्रिया संबंधी परिचालन विवरण हेतु बैंकनेट पोर्टल का अवलोकन करें।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को **ई–नीलामी** में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पर्याप्त पूर्व में अपना पंजीकरण कराकर उपयोगकर्ता पहचान संख्या तथा कूटशब्द प्राप्त करना होगा। यह केवल तब प्राप्त किया जा सकेगा जब निर्धारित विधि से अपेक्षित बयाना धनराशि जमा कर दी गई हो।
3. बयाना धनराशि निर्धारित विधि के अनुसार बैंकनेट पोर्टल के माध्यम से दिनांक **18.11.2026** को अपराह्न **04:00** बजे तक जमा की जाएगी। बैंकनेट पोर्टल, संबंधित बैंक के समन्वय से, समस्त इच्छुक बोलीदाताओं की सूची आवश्यक विवरण सहित आवश्यक अनुमोदन हेतु दिनांक **17.11.2026** को अपराह्न **04:00** बजे तक वसूली अधिकारी को अग्रेषित करेगा। नीलामी के संचालन से संबंधित सभी मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के उपबंध तथा वसूली अधिकारी के निर्देश, बैंकनेट पोर्टल के नियम एवं शर्तों पर प्रभावी होंगे। पंजीकरण, उपयोगकर्ता पहचान संख्या तथा बोली प्रक्रिया संबंधी परिचालन विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंकनेट पोर्टल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा यहाँ उल्लिखित सहायता दूरभाष क्रमांकों पर पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं।
4. स्थायी खाता संख्या कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, ई–मेल पता, मोबाइल संख्या तथा यह घोषणा कि वे स्वयं की ओर से बोली लगा रहे हैं अथवा अपने प्रधान की ओर से। बाद की स्थिति में, उन्हें अपना प्राधिकार–पत्र जमा करना होगा, अन्यथा उनकी बोलियाँ अस्वीकार कर दी जाएँगी। कंपनी के मामले में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी के प्रतिनिधित्व/मुख्तारनामा की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज तथा ऐसी जमा की रसीद/प्रति दिनांक **17.11.2026** को अर्पाह्न **04:00** बजे तक उक्त सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक को ई–मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त हो जानी चाहिए तथा उसकी हार्ड प्रति वसूली अधिकारी–।।, ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
5. भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ई–नीलामी एवं बोली प्रक्रिया बैंकनेट (बैंक परिसंपत्ति नीलामी नेटवर्क) ई–नीलामी पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिसका संचालन पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वेबसाइटः **https://baanknet.com** ई–मेल पताः **support.baanknet@psballiance.com** संपर्क व्यक्ति : श्री कश्यप पटेल, मोबाइल नं.: **9327493060**, सहायता संपर्क संख्याः **+918291220220** एवं श्री उदय जाधव, प्राधिकृत अधिकारी, बैंकनेट, मोबाइल नंबर 9820878255, पताः मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट 1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के निकट, वडाला (पूर्व), मुंबई – 400034
6. संपत्ति निरीक्षण हेतु इच्छुक बोलीदाताओं के लिए दिनांक **03.11.2026** एवं **04.11.2026** को प्रातः **11.00** बजे से अपराह्न **4.00** बजे तक खुली रहेगी। किसी भी प्रकार की जानकारी एवं संपत्ति के निरीक्षण के लिए **इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी श्रीमती शर्मिला कटारिया, मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मोबाइल नंबर 8826309978** पर संपर्क कर सकते हैं।
7. संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
8. बोलीदाता द्वारा अपनी बोली में प्रत्येक वृद्धि रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणक में की जाएगी।
9. संपत्ति का विक्रय **''जहाँ है जैसी है'' तथा ''जो है जैसा है''** के आधार पर किया जाएगा।
10. बोली स्वीकृत होने पर, सफल बोलीदाता को बैंकनेट पोर्टल के माध्यम से पूर्व में जमा की गई बयाना धनराशि का समायोजन करने के उपरांत विक्रय मूल्य का 25% डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से वसूली अधिकारी–।।, ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली के पक्ष में अदा करना होगा, जिसे अगले दिन अर्थात् **अपराह्न 4:00** बजे तक सीलबंद लिफाफे में वसूली अधिकारी–।।, ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली के समक्ष जमा करना होगा।
11. उच्चतम सफल बोलीदाता संपत्ति के विक्रय की तिथि से 15वें दिन तक अथवा उससे पूर्व अंतिम बोली राशि का शेष 75% जमा करेगा। यदि 15वें दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश का दिन हो, तो 15वें दिन के पश्चात् प्रथम बैंक कार्यदिवस पर, उपर्युक्त अनुच्छेद में वर्णित निर्धारित विधि से उक्त राशि जमा करेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, क्रेता वसूली अधिकारी–।।, ऋण वसूली अधिकरण–।। के समक्ष पाउंडेज शुल्क भी जमा करेगा, जो रु.1,000/– तक की राशि पर @2% तथा रु.1,000/– से अधिक की राशि पर अतिरिक्त राशि का @1% होगा, जो रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली के पक्ष में मांग ड्राफ्ट के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।
12. उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना करने पर, उक्त संपत्ति की पुनः बिक्री नई उद्घोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के उक्त संपत्ति के संबंध में या राशि के किसी भाग के संबंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे।
13. वसूली अधिकारी, आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, विक्रय की पुष्टि करने से इंकार करने अथवा किसी भी समय ई–नीलामी को स्थगित या निरस्त करने की वैधानिक शक्ति सुरक्षित रखते हैं। इस शक्ति के प्रयोग पर ई–नीलामी के संचालन में बैंकनेट पोर्टल अथवा सीएच बैंक द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही यह शक्ति किसी प्रकार से सीमित होगी।
14. असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी बयाना धनराशि की वापसी हेतु अपनी पहचान प्रमाण के साथ आवेदन, वसूली प्रमाणपत्र की नियत सुनवाई तिथि अथवा उससे पूर्व, ऋण वसूली अधिकरण–।। के रजिस्ट्री में प्रस्तुत करें, जिसके उपरांत उनकी बयाना धनराशि वसूली प्रमाणपत्र की नियत अथवा तत्पश्चात की सुनवाई तिथि पर तदनुसार वापस कर दी जाएगी।
15. इस चरण पर अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में उक्त संपत्तियों के संबंध में राजस्व, भार या किसी अन्य दावे का कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि, संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बयाना धनराशि जमा करने से पूर्व अपने हित में विद्युत, जल, गृहकर के बकाया बिलों अथवा किसी अन्य भार आदि के संबंध में स्वयं समुचित जांच–पड़ताल कर लें।
16. प्रमाणपत्रधारी बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वह ई–नीलामी सूचना का प्रकाशन अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में ऐसे समाचार पत्रों में कराए जिनका संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो अथवा जिस क्षेत्र में संपत्ति स्थित है तथा प्रमाणपत्र देनदार निवास करते हैं या आजीविका अर्जित करते हैं, वहां पर्याप्त प्रसार हो। प्रमाणपत्रधारी बैंक नीलामी की तिथि तक पर्चे वितरित कराकर, डुग्गी पिटवाकर आदि के माध्यम से भी व्यापक प्रचार–प्रसार करेगा तथा इसकी प्रतिवेदन इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
17. प्रमाणपत्रधारी बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त अनुच्छेदों में वर्णित तथ्यों की सत्यता का प्रमाणीकरण करे तथा यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि नीलामी प्रक्रिया निर्बाध एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, उनकी बैंकनेट पोर्टल के नियम एवं शर्तों के साथ संगति का पुनः सत्यापन करे।
18. इस नीलामी प्रक्रिया के दौरान बैंकनेट पोर्टल द्वारा प्राप्त कोई भी धनराशि, चाहे वह बयाना धनराशि के रूप में हो अथवा किसी अन्य रूप में, वसूली अधिकारी के स्पष्ट लिखित आदेश के बिना किसी भी बोलीदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति को वापस नहीं की जाएगी। प्रमाणपत्रधारी बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस प्रतिबंध की सूचना बैंकनेट के संबंधित अधिकारियों को दे तथा यह सुनिश्चित करे कि पोर्टल को इस प्रकार विन्यस्त किया जाए कि वसूली अधिकारी के पूर्व प्राधिकरण के बिना पोर्टल स्तर पर किसी भी धनराशि की वापसी या धनवापसी की प्रक्रिया न की जाए।

सम्पत्ति का अनुसूची

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
संपत्ति संख्या F38, एनडीएसई, पार्ट–1, नई दिल्ली स्थित संपत्ति के प्रथम तल पर कमरा नंबर 3, जिसमें सामने का आधा भाग एवं पीछे का आधा भाग दोनों शामिल हैं।	ज्ञात नहीं	दिनांक 28.09.2026 तक एमसीडी का रू. 4,65,302/– (रुपये चार लाख पैंसठ हजार तीन सौ दो मात्र) बकाया है।	ज्ञात नहीं

ई–नीलामी विक्रय सूचना की सेवा का शपथ पत्र भरने हेतु प्रकरण **31–10–2026** को सूचीबद्ध किया जाये सेवा के प्रमाण के साथ (स्पीड पोस्ट और कूरियर के लिए ट्रैक्ट परिणाम सहित) और दस्ती, समाचार पत्र में प्रकाशन के मूल प्रमाण और ई–नीलामी के प्रयोजन के लिए वेबसाइट सहित व्यापक संपत्ति।

हस्ता/– (वात्सल्य कुमार), वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली

THE LEELA
PALACES HOTELS RESORTS

लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड
(पूर्व में श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

पंजीकृत कार्यालय: द लीला पैलेस, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, अफ्रीका एवेन्यू, नेताजी नगर, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली-११००२३
फ़ोन नंबर: + ९१ (११) ३ ९३३१२३४ | ईमेल आईडी: cs@theleela.com
सीआईएन: L55209DL2019PLC347492 | वेबसाइट: www.theleela.com

पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग की जानकारी संबंधी सूचना

लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड (जिसे पहले श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (**"कंपनी"**) के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") की धारा १०८, ११० और अन्य लागू प्रावधानों; कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ (**"नियम"**) के नियम २० और २२ (समय-समय पर संशोधित); कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में जारी किए गए परिपत्रों (**"एमसीए परिपत्र"**); सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, २०१५ (**"सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस"**) (जिसमें कोई भी वैधानिक संशोधन, बदलाव, स्पष्टीकरण या पुनः अधिनियमन शामिल है); इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी जनरल मीटिंग पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ("एस एस -२"); तथा अन्य लागू कानूनों और नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों से 'पोस्टल बैलेट नोटिस' (**"नोटिस"**) में दिए गए प्रस्ताव के लिए मंजूरी मांगी जा रही है। यह मंजूरी केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (**"रिमोट ई-वोटिंग"**) के जरिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से ली जाएगी।

एमसीए के परिपत्र सर्कुलरों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने गुरुवार, १५ अक्टूबर २०२६ को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (यानी ईमेल) के ज़रिए नोटिस और रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश उन सदस्यों को भेज दिए हैं, जिनके ईमेल पते शुक्रवार, ०९ अक्टूबर २०२६ (**"कट-ऑफ तारीख"**) तक कंपनी, KFin टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट - "आरटीए"), डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास रजिस्टर्ड हैं। जिन सदस्यों के ईमेल पते रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नोटिस के साथ दिए गए 'नोट्स' के 'नोट 11' में बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://www.theleela.com/general-meeting-information/Postal-Ballot पर, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (**"एनएसडीएल"**) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर, आरटीए की वेबसाइट https://www.kfintech.com पर, और स्टॉक एक्सचेंजों - यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (https://www.nseindia.com/) और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) - की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

केवल वे सदस्य, जिनके नाम 'कट-ऑफ डेट' पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए 'बेनिफिशियल ओनर्स' (लाभार्थी मालिकों) के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे नोटिस में दिए गए प्रस्ताव पर 'रिमोट ई-वोटिंग' के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार, 'कट-ऑफ डेट' पर कंपनी की 'पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल' में उनके पास मौजूद शेयरों के अनुपात में होंगे। यदि कोई व्यक्ति 'कट-ऑफ डेट' पर सदस्य नहीं है, तो उसे इस नोटिस को केवल जानकारी के उद्देश्य से ही समझना चाहिए।

कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, १७ अक्टूबर २०२६ को सुबह ९:०० बजे (भारतीय मानक समय) शुरू होगी और रविवार, १५ नवंबर २०२६ को शाम ५:०० बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। एक बार जब कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर अपना वोट डाल देता है, तो बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश नोटिस के नोट १५ में दिए गए हैं।

कंपनी ने बीएमपी एंड कंपनी एलएलपी जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की फर्म है - के पार्टनर्स, सुश्री कोमल श्रीमांकार (एसीएस मेंबरशिप नंबर ४७७०२ और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर २७९०५) और/या उनकी अनुपस्थिति में श्री शिवगंगा मुरलीधर प्रमोद (एफसीएस मेंबरशिप नंबर एफ७८३४ और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर १३७८४) को 'स्क्रूटिनाइज़र' (जांचकर्ता) के रूप में नियुक्त किया है। इनका काम रिमोट ई-वोटिंग के जरिए पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है।

पोस्टल बैलेट के परिणाम मंगलवार, १७ नवंबर, २०२६ को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणामों और स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा । साथ ही, इन्हें कंपनी की वेबसाइट https://www.theleela.com/general-meeting-information/Postal-Ballot और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.co पर भी अपलोड किया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी सवाल या समस्या के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों' (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल को देख सकते हैं। इसके अलावा, वे ०२२-४८८६७००० पर कॉल कर सकते हैं, evoting@nsdl.com पर श्री सुकेथ शेट्टी को अनुरोध भेज सकते हैं, या cs@theleela.com पर कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि आरटीए या कंपनी के साथ किसी भी तरह के पत्राचार में, यदि शेयर डीमटेरियलाइज्ड रूप में हैं तो अपना डीपीआयडी और क्लाइंट आयडी बताएं, और यदि शेयर फिजिकल रूप में हैं तो अपना फोलियो नंबर बताएं।

निदेशक मंडल की ओर से
लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड
(पूर्व में श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
हस्ता/-
ज्योति माहेश्वरी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: ए२४४६९

स्थान: मुंबई
दिनांक: १५ ऑक्टोबर, २०२६